Justice K. G. Balakrishnan
Chairperson
(Former Chief Justice of India)

National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, C-Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110 023 India
Phone : 91-011-24663201, 24663202
Fax : 91-11-24651329
E-mail : chairnhrc@nic.in

09.12.2014

संदेश

आज, 9 दिसम्बर का दिन, जब वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर घोषणा को अंगीकृत किया गया, भारत एवं विश्व भर में मानव अधिकार संस्कृति की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के अपने अभिन्न हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार समर्थकों को सुदृढ़ करने के संकल्प को दोहराता है।

मानव अधिकारों की रक्षा के इस संघर्ष में सभी मानव अधिकार समर्थक हमेशा से ही सहायक रहे हैं। फिर भी, उनके प्रयासों को मानव अधिकार समर्थकों पर घोषणा के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया गया जिन्हें 9 दिसम्बर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 1993 में अपने स्थापना काल से ही, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने मानव अधिकारों के समर्थकों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, श्री रंगनाथ मिश्र ने हमेशा ही मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति संघर्षरत लोगों को पर्याप्त अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। उनके इस कार्य को न केवल आयोग द्वारा आगे ले जाया गया बल्कि मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अपनी क्रिया–कलापों के माध्यम से इसका विस्तार भी किया गया।

मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट का निर्माण, वार्षिक रिपोर्ट में मानव अधिकार समर्थकों पर अध्याय का समावेश, मानव अधिकार समर्थकों के मामलों का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशन आयोग द्वारा की गई कुछ पहलों में शामिल है। मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विशेष ध्यान देता है। इन शिकायतों का उचित अनुवीक्षण एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इन्हें अलग वर्ग में पंजीकृत किया जाता है। मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित शिकायतों पर उन्हें उचित एवं प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए आयोग विधि एवं अपनी योग्यता के आधार पर हर संभव कदम उठाता है।

मानव अधिकार समर्थकों की समस्याओं एवं गतिरोधों को समझने के लिए उनसे हर स्तर पर विचार– विमर्श करता है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों

में शिरकत कर आयोग मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट के माध्यम से गैर–सरकारी संगठनों/मानव अधिकार समर्थकों से मुलाकात करता है। इसके अलावा, जन सुनवाई/शिविर बैठकों के दौरान आयोग, मानव अधिकार समर्थकों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श करता है। इन विचार–विमर्शों के दौरान प्राप्त सुझावों पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है एवं उनके इस कार्य में होने वाली समस्याओं के निपटान हेतु हर संभव कदम उठाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मानव अधिकार समर्थकों को मिलने वाली धमकियों एवं उत्पीड़नों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 11.12.2013 को मानव अधिकार समर्थकों/गैर सरकारी संगठनों को हो रही कठिनाइयों के बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्य सरकारों से राज्य में मानव अधिकार परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन लाने में उन्हें बराबर के साझेदार समझने का आह्वान किया।

आयोग ने **"राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार समर्थक : बढ़ते सहयोगी"** नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसका विमोचन 10, दिसम्बर, 2013 को अर्थात् मानव अधिकार दिवस पर भारत के उप–राष्ट्रपति के कर–कमलों द्वारा किया गया। इस पुस्तक में मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निभाई जा रही भूमिका के विषय में विस्तार से बताया गया है।

इसके पश्चात्, आयोग को यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि गैर–सरकारी संगठनों के कोर ग्रूप के एक सदस्य एवं बाल अधिकारों के क्षेत्र में विख्यात मानव अधिकार समर्थक, श्री कैलाश सत्यार्थी को नोबल शांति पुरस्कार वर्ष 2014 से नवाजा गया। मानवता के प्रति इसी उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत मानव अधिकार समर्थकों के प्रयासों का आयोग हमेशा ही समर्थन करता रहेगा।

आयोग यह दोहराना चाहता है कि वर्ष 1998 में मानव अधिकार समर्थकों पर घोषणा के साथ आरंभ हुए इस महान आंदोलन को आज गति मिल गई है। देश एवं विश्व भर में मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार एवं इसके सशक्तीकरण में राज्य एवं गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं की साझेदारी में मानव अधिकार समर्थकों का कार्य दूरगामी प्रभाव डालेगा।

(न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन)